सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 94 / 2015 अपील (RCMS/2015/00009)
पंजीयन दिनांक – 06.08.2015
निर्णय दिनांक – 04.06.2018

1. श्री हरनारायण पिता श्री बिहारी लाल जी सोनी, निवासी बिनोता, तहसील निम्बाहेडा, जिला–चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री सजय सेन – वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – वकील ररेस्पोंडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 06 / 2014 दिनांक 04.02.2015

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 06 / 2014 दिनांक 04.02.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वाके मौजा बिनोता, तहसील निम्बाहेडा के खतोनी संख्या 408 के आराजी न. 784 रकबा 3.4700 हेक्टेयर तथा आराजी न. 640 मीन रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा जिसका अभी हाल ही नया सेटलमेंट हुआ है जिसके नये न. 784 बने तथा इस चरण में वर्णित आराजी न. 640 मीन रकबा 13 बीघा

14 बिस्वा माईनिंग विभाग के नाम पर अंकित कर दिया गया। आराजी न. 640 मीन का भाग है। आराजी न. 783 का पुराना न. 778 था, लेकिन सेटलमेन्ट वालों ने बगैर किसी कानूनी अधिकार के नक्शा ट्रेस में गलत रूप से नया नम्बर पैमूद कर दिया और अपीलान्ट के नम्बर के पास डाल दिया। इस तथ्य को लेकर अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के समक्ष नवीन भू–प्रबन्ध के पूर्व की स्थिति कायम करते हुए जहॉ पूर्व में उक्त आराजी नम्बर नक्शे में पैमुद था, उसी स्थान पर नवीन आराजी नम्बर 784 की स्थिति आराजी न. 640 मी अनुसार कायम कर गलत पैमूद आराजी न. 783 को हटाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा आदेश दिनांक 04.02.2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। उभय पक्ष के वकील उपस्थित। दिनांक 22.05.2018 को उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि सेटलमेन्ट द्वारा बगैर किसी कानूनी अधिकार के नक्शा ट्रेस में गलत रूप से नया नम्बर पैमूद कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आराजी न. 644 मीन जिसका नया न. 784 है और आराजी न. 778 जिसका नया नम्बर 783 है जिसके नक्शा ट्रेस में नये और पुराने में भारी अन्तर कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पटवारी रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया है, पटवारी हल्का ने मौके पर दोनों नक्शों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की थी और बगैर रिपोर्ट का उल्लेख किये जो निर्णय दिया है, वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट्स ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व के नक्शें एवं भू–प्रन्बध का मिलान किया गया और मिलान में कोई अन्तर नहीं पाये जाने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में रेस्पाडेंन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व के नक्शें एवं भू–प्रन्बध का मिलान किया गया और मिलान में कोई अन्तर नहीं पाये

जाने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया जिसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.02.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर